वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 17.07.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", अमर उजाला, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, आज, जनसंदेश टाइम्स, न्यायाधीश, जागरूक एक्सप्रेस, सन्मार्ग ," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 17.07.2024

लापरवाही मिलने पर वीडीए के दो फील्ड कर्मचारी कार्यालय से संबद्ध

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने मंगलवार को कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया। दो फील्ड कर्मचारियों को क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण और प्लॉटिंग की जानकारी न होने पर नाराजगी जताई। साथ ही लापरवाही बरतने पर दोनों को कार्यालय से संबद्ध कर दिया। निरीक्षण के दौरान गंगापुर, दरेखू, रोहनिया, दशाश्वमेध में 10 बीघे में अवैध प्लॉटिंग मिलने पर फील्ड कर्मचारी दिनेश कुमार यादव से पूछा। जब वह कोई जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें कार्यालय से संबद्ध कर दिया। जीवधीपुर घिसियारी रामनगर में 26 बीघे में अवैध प्लॉटिंग के बारे में राजेश कुमार कोई जवाब नहीं दे पाए। ब्यूरो

18 बीघे की अवैध प्लॉटिंग कराई ध्वस्त

वाराणसी। वीडीए की ओर से मंगलवार को हॉस्पिटल व मकान मालिकों के 8 अवैध निर्माणों और 18 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। डी ब्लॉक में 7 मकान मालिकों ने अतिक्रमण किया था, जिसे प्रवर्तन टीम ने ध्वस्त कराया। चौबेपुर गौराकला में बगैर मानचित्र स्वीकृत कराए गुलाब यादव और जितेंद्र कुमार की ओर से 3 बीघा, लालपुर मीरापुर लमही में विनोद राय की ओर से 15 बीघे में अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। ब्यूरो

किराया बकाया होने पर चार सरकारी विभागों को 15 दिन की मोहलत

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर मंगलवार को संपत्ति अधिकारी राजीव जायसवाल की ओर से शास्त्री नगर में चार सरकारी विभागों पर किराया बकाया होने पर चेतावनी दी गई। अधिकारियों से कहा गया कि 15 दिन में धनराशि जमा नहीं हुई तो आवंटन निरस्त कर सील की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम पर 71,25,610 रुपये, क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी पर 6,67,855 रुपये, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पर 3,61,252 रुपये, डाक तार विभाग पर 9,45,472 रुपये किराया बकाया है। क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ने बताया कि लखनऊ मुख्यालय से पत्राचार किया गया है। क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी ने एक सप्ताह में भुगतान का आश्वासन दिया है। प्रभारी अधिकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने 15 दिन में भुगतान की बात कही है। पोस्ट मास्टर, डाक एवं तार विभाग ने बताया कि किराये के भुगतान को लेकर पत्राचार किया गया है। टीम में सहायक संपत्ति अधिकारी रमेश चंद्र दुबे, वरिष्ठ लिपिक शंकर उपाध्याय, पीआरओ पीयूष श्रीवास्तव शामिल रहे। ब्यूरो

हिन्दुस्तान–दि0 17.07.2024

अवैध निर्माणों पर शिथिलता में दो कर्मी संबद्ध

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग की शिकायतें मिलने पर दो फील्ड कर्मचारियों को कार्यालय से संबद्ध कर दिया है। 10 और 15 जुलाई को वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण किया था उस दौरान उक्त कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई थी। पूछताछ में उन्होंने अवैध निर्माणों के संबंध में अनभिज्ञता भी जताई।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान–दि0 17.07.2024

लालपुर में सात अवैध निर्माण ध्वस्त

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने मंगलवार को लालपुर आवासीय योजना प्रथम चरण के अंतर्गत डी ब्लॉक में एक निजी अस्पताल समेत सात अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश, एई शिवजी मिश्रा, जेई अतुल मिश्रा मौजूद रहे। गौराकलां में बिना मानचित्र पास कराये दो बिल्डरों द्वारा तीन बीघा तथा लमही में 15 बिस्वा में अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। कार्रवाई जोनल अधिकारी संजीव कुमार, जेई जयप्रकाश गुप्ता, विनोद कुमार ने की।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 17.07.2024

वीडीए ने आर्यन हॉस्पिटल समेत सात घरों पर की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश क्रम में जोन-1 की प्रवर्तन टीम ने मंगलवार को अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। लालपुर आवासीय योजना प्रथम चरण के अंतर्गत प्राधिकरण की तरफ से केसी ड्रेन का कार्य संचालित है जिसमे डी. ब्लाक में मकान संख्या 226 आर्यन हॉस्पिटल द्वारा सरकारी रोड पर किये गये कब्जे को तथा डी-50 से डी-56 तक कुल सात मकानों के मालिको द्वारा अवैध अतिक्रमण किये हुए स्थानों को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश, सहायक अभियंता शिवजी मिश्रा, अवर अभियंता अतुल मिश्रा एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।

आज—दि0 17.07.2024

अवैध प्लाटिंगको लेकर दो कर्मचारियोंपर गिरी गाज

विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्गने अवैध प्लाटिंगको लेकर दो कर्मचारियोंके विरुद्ध काररवाई की है। निरीक्षणमें पाया गया कि गंगापुर रोड, देरखू, रोहनिया सहित अन्य जगहोंपर दस बीघा जमीनपर प्लाटिंग की जा रही थी जिसकी सूचना देनेमें फील्ड कर्मचारी दिनेश कुमार यादवने लापरवाही दिखायी। इसी तरह पांच क्षेत्रों जिउधीपुर, घिसियारीमें २६ बीघा जमीनपर प्लाटिंग की सूचना न देनेपर फील्ड कर्मी एवं वर्ग सुपरवाइजर राजेश कुमारको आफिससे सम्बद्ध कर दिया गया। जानकारीके अनुसार उपाध्यक्षने मौकेपर कई क्षेत्रोंमें बिना लेआउट पास कराये प्लाटिंगको लेकर नाराजगी व्यक्त की है और इसे लेकर कुछ और अधिकारियोंपर गाज गिर सकती है।

तीन बीघा, १५ बिस्वापर अवैध प्लाटिंग ध्वस्त

विप्रा उपाध्यक्षके निर्देशपर मंगलवारको वार्ड सारनाथके मौजा गौराकलामें बिना मानचित्र स्वीकृत कराये तीन बीघा जमीनपर प्लाटिंग की जा रही थी। इसी प्रकार लालपुर, मीरापुर मौजा लमहीमें १५ बिस्वा जमीनपर प्लाटिंग की जा रही थी। शिकायत मिलनेपर क्षेत्रीय जोनल अधिकारी और अभियन्ताकी देखरेखमें काश्तकारको लेआउट प्लान पास करानेकी अनुमति पत्र मांगी गयी जिसे दिखानेमें वह असमर्थ रहा। अधिकारियोंके निर्देशपर जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियन्ता जयप्रकाश गुप्ता, विनोद कुमार, प्रवर्तन दल एवं सुपरवाइजर सहित सम्बन्धित थानेकी पुलिसके सहयोगसे जेसीबीके माध्यमसे तीन बीघा, १५ बिस्वापर अवैध प्लाटिंगपर किये गये निर्माणको जेसीबीसे ध्वस्त करा दिया गया।

अवैध निर्माणपर चली जेसीबी

विप्रा उपाध्यक्षके निर्देशपर मंगलवारको लालपुर आवासी योजनाके प्रथम चरणमें मकान संख्या २२६ पर एक निजी अस्पतालके प्रबन्धकने सरकारी रोडपर कब्जा कर लिया था। इसी प्रकार डी ५० से डी ५६ तक सात मकान मालिकोंने सरकारी जमीनपर अवैध कब्जा करके अतिक्रमण किया हुआ था। इसकी शिकायत क्षेत्रीय लोगोंने विप्रा कार्यालयमें की थी। मंगलवारको जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश, सहायक अभियन्ता शिवाजी मिश्र, अवर अभियन्ता अतुल मिश्रा, प्रवर्तन दल सुपरवाइजरके अलावा क्षेत्रीय पुलिसके सहयोगसे अस्पताल सहित सात मकानोंके मालिकों द्वारा किया गया कब्जा ध्वस्त करा दिया गया। मौकेपर भवन स्वामियोंको अभियन्ताओंने चेतावनी दी कि भविष्यमें इस प्रकारका पुनः निर्माण होनेपर कानूनी काररवाई की जायेगी।

जनसंदेश टाइम्स–दि0 17.07.2024

विद्यापीठ में रोप-वे के उपकरणों का हुआ इंस्टालेशन।

हर तीन मिनट पर कैंट से गोदौलिया जाने को मिलेगा गोंडोला

800 करोड़ के प्रोजेक्ट को एक साल में तैयार करने का लक्ष्य

3.85 किमी होगा कैंट से गोदौलिया के बीच रोप-वे का दायरा

29 टॉवर और बनेंगे पांच स्टेशन, 150 गोंडोला कंटीन्यू चलेंगे

सिर्फ पिलर बनाने के लिए जमीनें की जा रही हैं क्रय

स्वामित्व साबित होने पर ही दिया जा रहा मुआवजा

वीरेन्द्र श्रीवास्तव

वाराणसी। कैंट से गोदौलिया के बीच रोप-वे के चल रहे निर्माण कार्यों के लिए सिर्फ पिलर बनाने के लिए जमीनें क्रय की जा रही हैं। इनमें स्वामित्व साबित होने पर ही ली जा रही जमीनों का मुआवजा दिया जा रहा है, अलबत्ता मुआवजे से रुखसत होना पड़ रहा है। 800.7 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट को एक साल के अंदर तैयार करने का लक्ष्य है। रोप-वे का दायरा 3.85 किमी का होगा। इसमें कैंट से गोदौलिया के बीच 29 टॉवर और पांच स्टेशन बनाए जाएंगे। कुल 150 गोंडोला कंटीन्यू चलेंगे। हर तीन मिनट पर यात्रियों को कैंट से गोदौलिया तक जाने के लिए गोंडोला उपलब्ध होंगे। खास यह है कि रोप-वे से यात्रा करने का चार्ज कम होगा।

राम कृष्ण मिशन ने फ्री में दी जमीन

लक्सा क्षेत्र से गुजरने वाले रोप-वे के पिलर बनाने के लिए यहां स्थित राम कृष्ण मिशन हॉस्पिटल व अयाचक आश्रम की जमीनें क्रय करने के लिए वीडीए ने प्रस्ताव रखा है। इनमें रामकृष्ण मिशन होम ऑफ सर्विस के सचिव स्वामी भैदातितानंद ने बताया कि इसको लेकर वीडीए से बात फाइनल हो चुकी है। हमने वीडीए से कहा है कि हमारी कम से कम जमीन ली जाए और उसका हम कोई पैसा नहीं लेंगे, फ्री में देंगे। बताया कि लक्सा रोड स्थित हास्पिटल कैंपस के उत्तरी छोर पर एक सपोर्टिंग पिलर बनाएंगे।

ज्यादातर पिलर सड़कों पर ही बन रहे

वीडीए के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि पिलर के निर्माण के लिए कुछ ही लोगों की जमीनें ली जा रही हैं। ज्यादातर पिलर सड़कों पर ही बन रहे हैं। वहीं तहसीलदार के अनुसार कैंट से गोदौलिया के बीच पहला स्टेशन कैंट, दूसरा काशी विद्यापीठ व भारत माता मंदिर कैंपस, तीसरा रथयात्रा, चौथा गिरजाघर व पांचवां गोदौलिया मारवाड़ी अस्पताल चौराहे पर बनेगा। जहां पिलर व स्टेशन बनेंगे वहीं की जमीनें आपसी सहमति से क्रए किए जा रहे हैं। स्वामित्व सिद्ध होने पर ही मुआवजा दिया जा रहा है। गवर्नमेंट लैंड होने पर मुआवजा नहीं मिलेगा।

भवन स्वामियों की दुविधा का किया समाधान

दरअसल विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से शहर में भीड़ बढ़ गई है। ऐसे में कैंट से गोदौलिया तक आने-जाने में हो रही दुश्वारी को कम करने के लिए इस रोप-वे की नींव डाली जा रही है। इसके लिए कैंट से गोदौलिया तक पिलर बनाने के लिए जमीनें चिन्हित की गई हैं। क्रय करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे खासकर रथयात्रा से गोदौलिया तक के बीच के भवन स्वामियों को अपनी भू-संपत्तियों के भी जाने का डर सताने लगा है। जनसंदेश ने इनकी इस दुविधा को दूर करने व रोप-वे को लेकर लोगों की संभावित परेशानियों के बाबत संबंधित विभाग विकास प्राधिकरण व रोप-वे प्रोजेक्ट के अधिकारियों से बात की, जिसमें कई बातें साफ हुईं।

गोदौलिया स्थित पाण्डेय धर्मशाला की जमीन पर निर्माणाधीन पिलर।

16 मिनट में पहुंचेंगे कैंट से गोदौलिया

उन्होंने बताया कि रोप-वे के बन जाने पर 150 गोंडोला लगातार संचालित होंगे। कैंट और रथयात्रा पर गैराज बनेंगे, यहीं पर गोंडोला पार्क होंगे। गिरजाघर बोर्डिंग नहीं टेक्निकल स्टेशन होगा। कैंट, विद्यापीठ, रथयात्रा और गोदौलिया स्टेशनों से यात्री गोंडोला पर चढ़ेंगे। कैंट से गोदौलिया 16 मिनट में पहुंचेंगे। यात्रा के लिए प्रत्येक स्टेशन से हर तीन मिनट पर गोंडोला मिलेंगे।

रोप-वे स्टेशन की रोड से अलग-अलग ऊंचाई

रोप-वे के स्टेशनों की ऊंचाई अलग अलग होगी। कैंट से रथयात्रा के बीच के स्टेशनों की सड़क से ऊंचाई 50 मीटर से लेकर 15 मीटर तक रखी गई है। रामापुरा स्थित पाण्डेय धर्मशाला के पास 27 मीटर और गोदौलिया पर 9 मीटर ऊंचाई होगी।

सुरक्षा के लिए रेस्क्यू सिस्टम

बताया कि रोप-वे के संचालन के दौरान किसी भी टॉवर के हिट करने पर वह गिरेगा नहीं, लटका रहता है। इसमें तीन रोप लगे होते हैं, जिनके थ्रू इनको बांधकर रखा जाता है। इसके लिए रेस्क्यू सिस्टम होगा। इसके अलावा प्रति टॉवर व प्रति स्टेशन पर आकाशीय बिजली से बचाने के लिए रिंग डिवाइस होगा। ज्यादा बारिश होने पर रोप-वे का संचालन बंद कर दिया जाता है। वहीं संचालन के दौरान गोंडोला अंदर से पूरी तरह से बंद रहेगा। इससे उसमें सवार यात्री कोई भी सामान या गंदा नीचे नहीं फेंक सकेगा।

स्वामित्व का मामला तहसील विभाग तय कर रहा

पिलर बनाने के लिए अन्य जगहों पर ली जा रही जमीनों के स्वामित्व का मामला तहसील विभाग तय कर रहा है। उन्होंने बताया कि रामापुरा स्थित पाण्डेय धर्मशाला के मामले में स्वामित्व के नाम में गड़बड़ी है। यह मामला एसडीएम सदर के यहां चल रहा है। जिनके स्वामित्व का मामला न्यायालय में है, स्वामित्व सिद्ध होने पर उन्हें सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। इस दौरान रोप-वे का काम जारी रहेगा। गवर्नमेंट की अथॉरिटी ही क्रय की जा रही जमीन की रजिस्ट्री कराएगी।

विद्यापीठ में उपकरणों के इंस्टालेशन का काम पूरा

वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधक लिमिटेड (एनएचएलएमएल)व रोप-वे प्रोजेक्ट से जुड़ी अधिकारी ने बताया कि रोप-वे के लिए कैंट पर टॉवर नं. 1 व 2 रेलवे की जमीन पर बन रहा है, टॉवर नं. 3 पेट्रोल पंप की जमीन पर, टॉवर नं. 5,67 व 8 काशी विद्यापीठ व भारत माता मंदिर की जमीन पर, 11, 12, 13 व 14 रोड पर बन रहा है। बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत अभी तक विद्यापीठ में सिविल वर्क व रोप-वे के उपकरणों के इंस्टालेशन का काम पूरा हो चुका है।

पिलरों के बीच की जमीनें क्रय नहीं की जा रही

उन्होंने बताया कि रोप-वे के लिए बनने वाले पिलरों के बीच की जमीनें क्रय नहीं की जा रही हैं। लगभग 100 वर्ग मीटर में एक पिलर का निर्माण होगा। वहीं पांच टॉवर स्टेशनों में कैंट पर 3044 वर्ग मीटर में, विद्यापीठ में 2143 वर्ग मीटर में, बीटीएस रथयात्रा में 4604 वर्ग मीटर में व रामापुरा में 720 वर्ग मीटर, गिरजाघर में 2053 वर्ग मीटर में स्टेशन बनेगा। बताया कि रथयात्रा स्थित बीटीएस स्कूल कैंपस में स्टेशन नं. 3 बन रहा है। यहां स्वामित्व सिद्ध होने पर बैनामा हो गया है।

अयाचक आश्रम से 14 फीट जमीन लेने का प्रस्ताव

वहीं इस हास्पिटल से कुछ फर्लांग की दूरी पर स्थित अयाचक आश्रम के अध्यक्ष धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने बताया कि उनका आश्रम 1967 में बना। आश्रम के 10 बिस्वा वाले प्लाट पर रोप-वे के लिए एक पिलर बनाने को14 फीट जमीन क्रय किये जाने को लेकर वीडीए से बात चल रही है। आश्रम इसके लिए तैयार है। बताया कि आश्रम के माध्यम से चरित्र निर्माण करना, आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने के साथ ही आयुर्वेदिक दवाएं व स्वामी स्वरुपानंद परमहंस देव की लिखी किताबें सप्लाई कर आय अर्जित की जाती है।

न्यायाधीश–दि0 17.07.2024

अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध वाविप्रा ने की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी। इसके तहत लालपुर आवासीय योजना प्रथम चरण के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा के0 सी0 ड्रेन का कार्य संचालित है जिसमे डी0 ब्राक में मकान संख्या 226 आर्यन हॉस्पिटल द्वारा सरकारी रोड पर किये गये कब्जे को तथा डी-50 से डी-56 तक कुल 7 मकानों के मालिको द्वारा अवैध अतिक्रमण किये हुए स्थानों को आज 16 जुलाई 2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी श्री सिंह गौरव जयप्रकाश, सहायक अभियंता श्री शिवजी मिश्रा, अवर अभियन्ता श्री अतुल मिश्रा एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 17.07.2024

वाविप्रा द्वारा 100 घंटे से कम समय में पास किया गया पांच सितारा होटल का मानचित्र

वाराणसी ।नगर में पांडेपुर से आजमगढ़ मुख्य मार्ग पर आराजी सं0-93मि0, 94मि0, 95मि0व 96मि0, मौजा-हासिमपुर, परगना-शिवपुर, वार्ड-सारनाथ, जिला-वाराणसी पर स्थित 6129 वर्गमीटर के भूखंड पर पूर्व में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा 3दल्त ईऊ8 तल का होटल मानचित्र स्वीकृत किया था जिसमें कुल 196 रूम थे। विकासकर्ता द्वारा पूर्व में एफ़एआर 2.5 प्राप्त किया गया था जिसके अंतर्गत भवन की अधिकतम ऊंचाई 35.00 मीटर और सेटबैक 9.0 मीटर चारों तरफ स्वीकृत किया गया था, जिसके क्रम में विकासकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र की शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य करते हुये पाँच सितारा होटल प्रारम्भ किया गया, जो वर्तमान समय में क्रियाशील है। विकासकर्ता श्री हीरलाल जायसवाल द्वारा प्राधिकरण से क्रय योग्य एफ़एआर स्वीकृत कराते हुये इस ङहोटल के विस्तार (हिंग्दह) का मानचित्र प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। समस्त औपचारिकताओं एवं दस्तावेजों को जमा करने के बाद 100 घंटे से कम समयावधि में प्राधिकरण के मानचित्र अनुभाग द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है।

न्यायाधीश–दि0 17.07.2024

वाविप्रा ने बकाये किराये की वसूली के लिए स्थल पर जाकर कार्यवाही की

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में 16.जुलाई को सम्पत्ति अधिकारी वीडीए के नेतृत्त में वी.डी.ए. की टीम द्वारा शास्त्री नगर स्थित चार सरकारी विभागों उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग तथा डाक तार विभाग पर किराये की सम्पत्तियों पर बकाये किराये की वसूली हेतु स्थल पर जाकर कार्यवाही की गयी। इन विभागों पर क्रमशः रू0 71,25,610.00, रू0 6,67,855.00, रू0 3,61,252.00 तथा रू0 9,45,472.00 वीडीए का किराये के मद में बकाया है। क्षेत्रीय प्रबन्धक यू0प्र0वि0नि0 द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में लखनऊ स्थित मुख्यालय से पत्राचार किया गया है। क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में पूर्ण भुगतान का आश्वासन दिया गया। प्रभारी अधिकारी सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि 15 दिन में किराये का सम्पूर्ण भुगतान कर दिया जायेगा। पोस्ट मास्टर, डाक एवं तार विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि किराये के भुगतान की कार्यवाही डाक तार अधीक्षक पश्चिमी क्षेत्र वाराणसी द्वारा किया जाता है। इस सम्बन्ध में उनसे पत्राचार किया गया है। सम्पत्ति अधिकारी द्वारा संबंधित विभागों के अधिकारियों को यह चेतावनी दी गयी कि यदि 15 दिन के अन्दर किराये के भुगतान अथवा भवन क्रय की कार्यवाही नही की जाती है तो उपाध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार आवंटन निरस्त कर कार्यालय सील की कार्यवाही की जायेगी। वसूली के लिये गयी वी.डी.ए. टीम में सम्पत्ति अधिकारी राजीव जायसवाल, सहायक सम्पत्ति अधिकारी रमेश चन्द्र दूबे, वरिष्ठ लिपिक शंकर उपाध्याय, पी.आर.ओ .पियूष श्रीवास्तव एवं दो रेन्ट कलेक्टर थे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

जागरूक एक्सप्रेस–दि0 17.07.2024

वीडीए ने 100 घंटे में पास किया होटल का मानचित्र

बड़ा सवाल- फिर नक्शा पास या शमन कराने के लिए महीनों तक क्यों दौड़ते हैं गरीब व आम जन

जागरूक एक्सप्रेस संवाददाता

वाराणसी। पांडेपुर से आजमगढ़ मुख्य मार्ग पर आराजी सं0-93मि0, 94मि0, 95मि0व 96मि0, मौजा-हासिमपुर, परगना-शिवपुर, वार्ड-सारनाथ, जिला-वाराणसी पर स्थित 6129 वर्गमीटर के भूखंड पर पूर्व में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा Double B+G+8 तल का होटल मानचित्र स्वीकृत किया था जिसमें कुल 196 रूम थे। विकासकर्ता द्वारा पूर्व में एफएआर 2.5 प्राप्त किया गया था जिसके अंतर्गत भवन की अधिकतम ऊंचाई 35.00 मीटर और सेटबैक 9.0 मीटर चारों तरफ स्वीकृत किया गया था, जिसके क्रम में विकासकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र की शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य करते हुये पाँच सितारा होटल प्रारम्भ किया गया, जो वर्तमान समय में क्रियाशील है। विकासकर्ता हीरलाल जायसवाल द्वारा प्राधिकरण से क्रय योग्य एफएआर स्वीकृत कराते हुये इस होटल के विस्तार (Extension) का मानचित्र प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। समस्त औपचारिकताओं एवं दस्तावेजों को जमा करने के बाद 100 घंटे से कम समयावधि में प्राधिकरण के मानचित्र अनुभाग द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। पूर्व स्वीकृति के सापेक्ष विस्तार के पश्चात इस होटल प्रतिष्ठान में Double B+G+8 के स्थान पर 04 तल का विस्तारित होकर Double B+G+12 तल का हो जाएगा जिसमे 196 कमरों के स्थान पर अब 302 कमरे उपलब्ध होंगे।

वीडीए का यह कार्य निश्चित सराहनीय है लेकिन यह भी विचारणीय विषय है कि आखिर गरीब व आम लोगों को ऐसे ही काम जैसे नक्शा पास या निर्माण शमन कराने के लिए महीनों से वर्षों तक क्यों विभाग में दौड़ना पड़ता है। क्या उनके प्रयासों में या जुगाड़ में कमी रहती है या उनके कागजात नियमानुसार इस मामले के मुकाबले सही नहीं रहते या फिर उनकी जेबें हल्की रहती हैं कि वो वीडीए से अपना काम करा सकें?

जागरूक एक्सप्रेस–दि0 17.07.2024

वीडीए वीसी ने किया क्षेत्र भ्रमण, की कार्रवाई

जिला संवाददाता

वाराणसी। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान अत्यधिक संख्या अवैध निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग पाए जाने पर फील्ड कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये फील्ड से स्थानांतरण कर कार्यालय से सम्बद्ध किया गया। उपाध्यक्ष द्वारा 10.07.2024 को जोन-03 का स्थल निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान मौजा-गंगापुर रोड, ग्राम-दरेखू, रोहनिया, वार्ड-दशाश्वमेध के अंतर्गत अधिक संख्या में अवैध निर्माण एवं लगभग 10 बीघा में अवैध प्लाटिंग गतिमान पाए जाने पर संबन्धित फील्ड कार्मिक दिनेश कुमार यादव, सर्वे खलासी से पृच्छा करने पर उक्त अवैध निर्माण कार्य के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी। आपको सौपे गए कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं किये जाने एवं प्रवर्तन कार्य हेतु पदेन दायित्वों में शिथिलता बरते जाने पर फील्ड से स्थानांतरण कर कार्यालय से सम्बद्ध किया गया। इसके अतिरिक्त द्वारा 15.07.2024 को जोन-05 का क्षेत्र भ्रमण किया गया था। ग्राम-जीवधीपुर एवं घिसयारी, वार्ड-रामनगर के अंतर्गत अधिक संख्या में अवैध प्लाटिंग पाए जाने तथा ग्राम-जीवधीपुर तथा ग्राम-घिसयारी में लगभग 26 बीघा में विकसित प्लाटिंग के विरुद्ध प्राथमिकता पर ध्वस्तिकरण की कार्यवाही करने हेतु जोनल अधिकारी (जोन-5) को निर्देशित किया गया। संबन्धित फील्ड कार्मिक राजेश कुमार, वर्क सुपरवाइजर से पृच्छा करने पर उक्त प्लाटिंग के निर्माण कार्य के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नही करायी गयी। जिससे यह स्पष्ट होता है कि सौपे गए कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं किया एवं प्रवर्तन कार्य हेतु पदेन दायित्वों में शिथिलता बरते जाने पर फील्ड से स्थानांतरण कर कार्यालय से सम्बद्ध किया गया।

सन्मार्ग–दि0 17.07.2024

लालपुर में सात भवनों पर चला बुलडोजर

निजी अस्पताल का अवैध निर्माण ढहाया

सभी भवन स्वामी को नोटिस जारी

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। निर्धारित दायरे में अनाधिकृत निर्माण पर बुलडोजर चला तो कार्रवाई में प्लाटिंग भी ध्वस्त कराई। वीडीए ने कार्रवाई के दौरान लगभग निजी अस्पताल समेत 7 भवनों को जमींदोज किया, वहीं अवैध निर्माणों को सील कर दिया। कार्रवाई के बाद सभी संपत्तियों पर वीडीए ने अधिकार क्षेत्र का बोर्ड भी लगा दिया।

इस सभी संपत्तियों पर अनाधिकृत निर्माण का प्रयास करने पर कठोर विधिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी। फिलहाल वीडीए वीसी के निर्देश पर सभी को नोटिस जारी किया गया है

वीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि मंगलवार को लालपुर आवासीय योजना प्रथम चरण के अंतर्गत डी ब्लॉक में एक निजी अस्पताल समेत सात भवन स्वामियों के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। डी-50 से डी-56 तक मकान मालिकों ने अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कराया था। जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश, एई शिवजी मिश्रा, जेई अतुल मिश्रा समेत अन्य वीडीए कर्मियों ने कार्रवाई की। इसके अलावा गौराकलां में बिना मानचित्र पास कराये दो बिल्डरों द्वारा तीन बीघा तथा लमही में 15 बिस्वा चल रहे अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। इस मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार, जेई जयप्रकाश गुप्ता, विनोद कुमार आदि मौजूद रहे।